उत्तर प्रदेश शासन
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-3
संख्या-182/76-3-2024-08डब्ल्यूपी/2024
लखनऊः दिनांक 14 फरवरी, 2024

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7,
उ0प्र0 शासन।

कृपया अपने पत्र संख्या-एन0जी0टी0-38/81-7-2024, दिनांक 09.02.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-728/2023 In re:News item appearing in Hindustan dated 30-11-2023 titled "Arsenic found in groundwater in 25 States, fluoride in 27 States:Govt." में पारित आदेश दिनांक 20-12-2023 के अनुपालन से संबंधित कन्सलटेन्ट (ज्यूडिशियल), एन0जी0टी0, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 30.12.2023 द्वारा प्रेषित नोटिस की संलग्नक सहित छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को संज्ञानित कराने एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ससमय Response दाखिल कराने का अनुरोध किया गया है।

उक्त विचाराधीन ओ0ए0 सं0-728/2023 में पारित आदेश दिनांक 20-12-2023 के प्रभावी अंश निम्नवत् है-

".....5. Let following be impleaded as respondents:-

21. State of Uttar Pradesh (Lucknow) through Chief Secretary, 1st Floor, Room No. 110, LalbahadurSastri Bhawan, Uttar Pradesh Secretariat, Lucknow-226001;

".....6. We may also notice at this stage that the problem of contamination of ground water due to arsenic in the context of certain Districts of State of UP and some other States like Assam, Bihar, Jharkhand, Karnataka, Punjab and West Bengal was considered by this Tribunal in O.A. No. 384/2019, Mrs. Sunita Pandey &Anr. vs. Union of India &Ors. & while disposing of the matter finally vide judgment dated 01.02.2021, the Tribunal directed as under:-

"16. In view of the above, let further steps in the matter be taken by the concerned States which may be monitored by the MoJS at the National level and by the Chief Secretaries of the concerned States, particularly in West Bengal and Punjab. The Chief Secretary, UP may sort out inter-departmental responsibilities and ensure compliance with regard to dismantling of hand pumps in arsenic 12 affected habitations, along with action on other recommendations of the Oversight Committee. The CGWA, the CPCB and concerned State PCBs/PCCs may monitor water quality in the affected areas and compile the relevant data and place on a common portal for future reference and remedial action.

Due attention may be given to cover other geogenic contaminants like fluoride, nitrate and other contaminants harmful to human and animal health as well as for irrigation. CPCB and SPCBs/PCCs may give emphasis to remediate identified contaminated sites having potential threats to groundwater contamination as directed vide order dated 29.01.2021 in OA No. 804/2018, Rajive Narayan &Anr. vs. Union of India &Ors.

MoJS may, in contaminated areas where there is geogenic contamination, explore possibility of rain water harvesting systems for recharging and dilution of the contaminated water and also avoiding excessive abstraction of groundwater, so that building of contaminants does not take place."

7. The issue raised in the present matter with regard to presence of arsenic and fluoride in ground water in such large number of States and Districts is very serious and requires urgent preventive and protective steps by all concerned authorities....."

मा0 अधिकरण में सन्दर्भित उक्त प्रकरण एवं तत्क्रम में मा0 अधिकरण द्वारा निर्गत आदेशों के संबंध में विभागीय मंतव्य निम्नवत् है-

- उल्लेखनीय है कि उक्त विचाराधीन प्रकरण आर्सेनिक एवं फ्लोराइड का भूजल में मिश्रण से सम्बन्धित है, जो कि एक्यूफर मृदा के जियोजेनिक गुण के कारण है। यह प्रदूषण मानवजनित नहीं है।
- आदेश में सन्दर्भित केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण की रिपोर्ट में प्रदेश के 45 जनपदों में आर्सेनिक को भूगर्भीय जल में नियत मात्रा से अधिक (Arsenic >0.01mg/L) साथ ही प्रदेश के 43 जनपदों में फ्लोराइड को नियत मात्रा से अधिक (Fluoride > 1.45mg/L) बताया गया है।

- मा0 अधिकरण के पारित आदेश के प्रस्तर संख्या-6 में ओ0ए0 सं0-384/2019 में दिनांक 01-02-2021 को निम्नवत् निर्देश निर्गत किये गये है-

  ....***<u>The Chief Secretary, UP may sort out inter-departmental responsibilities and ensure compliance with regard to dismantling of hand pumps in arsenic 12 affected habitations, along with action on other recommendations of the Oversight Committee</u>. <u>The CGWA, the CPCB and concerned State PCBs/PCCs may monitor water quality in the affected areas and compile the relevant data and place on a common portal for future reference and remedial action</u>.***

  Due attention may be given to cover other geogenic contaminants like fluoride, nitrate and other contaminants harmful to human and animal health as well as for irrigation. CPCB and SPCBs/PCCs may give emphasis to remediate identified contaminated sites having potential threats to groundwater contamination.......
- आदेश के उक्त अंश के दृष्टिगत मा0 अधिकरण द्वारा केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण, केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को सम्बन्धित क्षेत्रों में जल गुणवत्ता का अनुश्रवण करते हुए प्रदूषण से सम्बन्धित डाटा/रिपोर्ट को पब्लिक पोर्टल पर रखते हुए जनसुलभ कराने की अपेक्षा की गयी है, जिससे कि प्रदूषित क्षेत्रों के लोग इससे भिज्ञ होते हुए इनसे बचाव के प्रति सजग हो सकें।
- आदेश में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि मुख्य सचिव महोदय के स्तर से अन्तरविभागीय दायित्व निर्धारण कराते हुए प्रदूषित क्षेत्रों में प्रदूषण के ग्राउण्ड वाटर जोन में बने हुए हैण्डपम्प को सील (Dismantle) करने की कार्यवाही की जाये, जिससे कि लोगो को प्रदूषित जलापूर्ति से बचाया जा सके। सूचनीय है कि हैण्डपम्प निर्मित करने एवं सील (Dismantle) करने के कार्य भूगर्भ जल विभाग द्वारा नहीं किये जाते हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित निर्देशों के क्रम में उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही की अपेक्षा प्रदेश स्तर पर राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा केन्द्र स्तर पर केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से की गयी है। प्रकरण भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 से संबंधित नहीं है।

अतएव उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्रकरण में अपने स्तर से अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-182(1)/76-3-2024,तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड , लखनऊ को उनके पत्र संख्या–एच 05620/सी-4/विधि/547/2023, दिनांक 12 जनवरी, 2024 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,

(महेन्द्र कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव